कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय,स्वशासी समिति, भोपाल।

क्रमांक 2913 एम.सी./4/स्था/राज/2022 भोपाल, दिनांक 07/06/2022

//सूचना//

इस कार्यालय से प्रकाशित विज्ञप्ति क्र 2877/एम.सी./4/2022 भोपाल दिनांक 31/05/2022 के क्रम में संशोधित विज्ञप्ति क्रमांक 2880 दिनांक 01/06/2022 व संशोधित विज्ञप्ति क्रमांक 2893 दिनांक 04/06/2022 के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि–

1. पी.एस.एम विभाग का सीधी भर्ती के अंतर्गत प्रकाशित एक अंतिम बिंदु का रिक्त पद (ई.डब्लू.एस) को चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 294 दिनांक 17/03/2022 के संज्ञान में आने पर इसके परिपालन में समर्पित कर विज्ञप्ति से विलोपित किया गया हैं ओर इसकी संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 01/06/2022 को जारी की गई।
2. कुछ आवेदकों द्वारा आपत्ति लिये जाने पर दिनांक 04/06/2022 को मध्यप्रदेश शासन नियमानुसार गठित रोस्टर निर्धारण समिति की आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय आनुसार सीधी भर्ती के रोस्टर में दूसरें बिन्दु पर सभी विषयों में वर्ष 2019 से पुर्व पदस्थ चिकित्सा शिक्षक (अनारक्षित वर्ग) के नाम लिखे जाने के उपरान्त रोस्टर में क्रमशः अभ्यर्थियों की गणना की जाना हैं। तदनुसार पी.एस.एम. विभाग के रोस्टर के दूसरे बिन्दु के ओबीसी पद पर अनारक्षित अभ्यर्थि का नाम लिखे जाने से रिक्ति रोस्टर में बिन्दु क्रमांक 06 पर अनारक्षित के लिए प्रदर्शित हुई और इसकी संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 04/06/2022 को जारी कि गई।
3. पी.एस.एम में सीधी भर्ती प्रक्रिया में चुने जाने वाले आवेदक पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित याचिका (WP 200054/2020,WP20395/2020 तथा WP18096/2020) में माननीय न्यायालय का कोई आदेश यदि हो, लागू होगा अतः भर्ती सर्शत की जावेगी।
4. इस बाबत किसी व्यक्ति/संस्था को यदि कोई आपत्ति हो तो इस सूचना जारी होने के तीन दिवस में अधिष्ठाता कार्यालय में प्रस्तुत करें।
5. अतः विज्ञप्ति क्रमांक 2893 दिनांक 04.06.2022 के रिक्त पदों में आवेदन हेतु अंतिम तिथि दिनांक 10.06.2022 सांय 5:00 बजे तक बढ़ाई जाती है।

07/06/2022

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय,स्वशासी समिति, भोपाल।